कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

-:: निविदा ::-

इस न्यायिक जिला स्थापना पर वाहन स्टैण्ड का संचालन निर्धारित शर्तो के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 03.09.2016 को प्रातः 11:00 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर वाहन स्टैण्ड के ठेके हेतु खुली बोली/निलामी में सम्मिलित हो सकते हैं ।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

01. नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रू. 5000/- जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी ।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ।
03. वाहन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि का 3 माह की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा कराना होगा ।
04. ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी ।
05. वाहन स्टैण्ड का वार्षिक ठेका राशि रूपये 120000/- है । उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की निविदा स्वीकार की जावेगी ।
06. वाहन स्टैण्ड ठेकेदार में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे की शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।
07. ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा ।
08. वाहन स्टैण्ड का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकारी जिला न्यायाधीश का होगा।
09. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी ।
10. वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । वाहन खराब होने, चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी गये वाहन की राशि का भुगतान करना होगा ।
11. साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किग शुल्क निम्नानुसार होगी :-
    साइकिल - 5/- रू. प्रतिदिन
    स्कूटर/दो पहिया- 10/- रू. प्रतिदिन
    चार पहिया - 20/- रू. प्रतिदिन
12.. ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

-:: निविदा ::-

इस न्यायिक जिला स्थापना पर न्यायालय भवन की साफ-सफाई का ठेका निर्धारित शर्तो के अध्याधीन दिया जाना है जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 03.09.16 को प्रातः 11:00 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायालय की साफ-सफाई के संबंध में ठेका हेतु खुली बोली/निलामी में सम्मिलित हो सकते हैं ।

निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं :-

01. निलामी में उपस्थित व्यक्ति को रूपये 5000/- जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी । उक्त राशि नियमानुसार वापिसी योग्य होगी ।
02. साफ-सफाई का मासिक ठेका की अधिकतम राशि **रूपये 15000/-** है । इससे कम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उक्त ठेका दिया जावेगा । उक्त ठेका एक वर्ष के लिये होगा ।
03. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ-सफाई के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाये जाने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी ।
04. नियमित रूप से न्यायालय भवन के अंदर व बाहर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (न्यायालय कक्षों को छोड़कर) साफ-सफाई मय फिनायल के पोंछे के कराना होगा ।
05. महिला एवं पुरूष प्रसाधन की साफ-सफाई विशेष रूप से दिन में तीन बार फिनायल डालकर करनी होगी ।
06. एक सफाई कर्मी न्यायालय समय से न्यायालय समय के पश्चात तक साफ-सफाई हेतु न्यायालय भवन में हमेशा उपलब्ध रहेगा।
07. साफ-सफाई में लगने वाली सामग्री झाड़ू, कपड़ा, एसिड, फिनायल इत्यादि सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी ।
08. प्रत्येक रविवार को न्यायालय परिसर व गैलरी की सफाई, सर्फ एवं पानी से करनी होगी तथा खिड़की दरवाजों की साफ-सफाई करनी होगी ।
09. साफ-सफाई के देख-रेख की जिम्मेदारी नजारत अनुभाग दतिया की होगी ।
10. न्यायालय भवन की साफ-सफाई में अनुपस्थिति की दशा में उक्त दिवस की राशि काटी जाकर शेष राशि का ही भुगतान किया जावेगा ।
11. साफ-सफाई का भुगतान प्रत्येक माह के 20 तारीख के पूर्व चेक द्वारा किया जावेगा ।
12. निलामी में बोली स्वीकृत करने का एकाधिकार क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया का होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)